कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद भदोही

सी.यू.जी. – 9454400307, दूरभाष- 05414-250236, ई-मेंल- spsrn-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद भदोही

दिनांक- 06.03.2026

√पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु दिए गए निर्देश क्रम में थाना सुरियावां पुलिस द्वारा शातिर, मनबढ़ किस्म के अभ्यस्त अभियुक्त के विरुद्ध प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गुंडा एक्ट के तहत हुआ जिला बदर।

√सुरियावां पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार मुनादी कराकर जिला बदर की कार्यवाही की गई संपन्न

श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था, अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर, मनबढ़ व अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। जनपद के थाना सुरियावां क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हुए आमजन के साथ इनके अपराधों के द्वारा सामान्य जनता में भय एवं आतंक व्याप्त कर गुण्डागर्दी करने वाले अभ्यस्त अभियुक्त विकास तिवारी पुत्र मनोज तिवारी निवासी नागमलपुर थाना सुरियावां जनपद भदोही के विरूद्ध निर्गत उ.प्र. गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की नोटिस धारा 3(1) की पुष्टि की जाती है,

अभियुक्त द्वारा आम जनता के लोगों के साथ मारपीट करना गाली-गुप्ता देना व जान से मारने की धमकी देने जैसा गम्भीर अपराध किया जाता है। इनके भय एवं आतंक से आम जनता कोई भी व्यक्ति इनके विरूद्ध मुकदमा लिखाने का साहस नहीं करता है, अतः इसके विरुद्ध उ.प्र. गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1970 की धारा 3(1) के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु संस्तुति की गयी है। अभियुक्त के विरुद्ध स्थानीय पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप श्री शैलेष कुमार जिला मजिस्ट्रेट भदोही द्वारा यू0पी0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत 06 माह के लिए जिला बदर घोषित किया गया है।

निर्गत आदेश के अनुपालन में आज दिनांक-06.03.2026 को सुरियावां पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त के निवास स्थान पर आदेश की उद्घोषणा कर एवं डुग-डुगी बजवाकर आदेश की प्रति चस्पा किया गया तथा अवगत कराया गया कि उपरोक्त निर्धारित अवधि के दौरान जनपद के अंदर निवासित पाए जाने पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

जिलाबदर विकास तिवारी पुत्र मनोज तिवारी का अपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 19/24 धारा 323,498-a,504,506 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिशेध अधिनियम महिला थाना भदोही जनपद भदोही

2.मु0अ0सं0 48/2020 धारा 147,323,325,504,506 भादवि व धारा 3(1)(घ),3(1)(द) एससी/एसटी एक्ट थाना सुरियावां जनपद भदोही

3.मु0अ0सं0 206/2025 धारा 115(2),11792),352 बीएनएस थाना सुरियावां जनपद भदोही

4.मु0अ0सं0 326/2025 धारा 115(2),351(3),352 व 85 बीएनएस थाना सुरियावां जनपद भदोही ।